भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के एकल वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30-06-2026	31-03-2026	30-06-2025	31-03-2026
	समीक्षित	(लेखापरीक्षित)	समीक्षित	(लेखापरीक्षित)
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	**10,724**	**10,443**	**10,307**	**41,330**
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	10,076	9,726	9,061	36,818
(ख) निवेशों पर आय	350	389	666	2,290
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	298	328	580	2,222
(घ) अन्य	-	-	-	-
2. अन्य आय	182	180	127	610
3. कुल आय (1+2)	**10,906**	**10,623**	**10,434**	**41,940**
4. ब्याज व्यय	8,546	8,245	7,846	31,781
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**389**	**584**	**320**	**1,619**
(i) कर्मचारी लागत	275	349	220	986
(ii) अन्य परिचालन व्यय	114	235	100	633
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	**8,935**	**8,829**	**8,166**	**33,400**
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	**1,971**	**1,794**	**2,268**	**8,540**
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनरांकन पश्चात् निवल]	(588)	484	(21)	1,350
9. असाधारण मदें	-	-	-	-
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	**2,559**	**1,311**	**2,289**	**7,190**
11 कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात् निवल]	630	317	547	1,697
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात् निवल लाभ(+) / हानि(-) (10-11)	**1,929**	**994**	**1,742**	**5,493**
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (–) (12-13)	**1,929**	**994**	**1,742**	**5,493**
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	621	621	569	621
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	45,740	43,812	37,250	43,812
17. विश्लेषणात्मक अनुपात				
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	27.57%	27.57%	20.85%	27.57%
(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III)	20.51%	20.07%	19.10%	20.07%
(iii) प्रति शेयर आमदनी (मूल और अवमिश्रित) (ईपीएस)	31.04#	17.47#	30.64#	96.56
(iv) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात				
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	817	684	312	684
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.14	0.12	0.07	0.12
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) (वार्षिकीकृत)	1.21%	0.64%	1.23%	0.92%
(vi) निवल मालियत	41,809	38,973	34,341	38,973
(vii) बकाया मोचनीय अधिमान शेयर	-	-	-	-
(viii) पूंजी मोचन आरक्षिती	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन आरक्षिती	-	-	-	-
(x) परिचालन सीमा	18.07%	16.89%	21.74%	20.36%

(xi) निवल लाभ सीमा	17.69%	9.36%	16.70%	13.10%
(xii) ऋण – ईक्विटी अनुपात *	9.02	9.28	8.87	9.28
(xiii) कुल आस्तियों की तुलना में कुल ऋण (%) *	57.95	57.17	53.80	57.17

अवार्षिकीकृत

* ऋण (जमा को छोड़कर) कुल उधार को दर्शाता है

टिप्पणियाँ:

1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
2) निदेशक मंडल द्वारा 10 अगस्त, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम समीक्षित किए गए हैं।
3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के आंकड़े, पूरे वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और सम्बंधित वित्तवर्ष की तीसरी तिमाही के अंत तक प्रकाशित वर्ष से आज तक के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
4) 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम गैर-निष्पादित आस्तियों, मानक आस्तियों, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, छूट के परिशोधन, निवेश पर आय /बांड जारी करने से संबंधित खर्चों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर निवेश मूल्यह्रास के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत तैयार किए गए हैं। आयकर, आस्थगित कर और अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान जिनमें कर्मचारी लाभ शामिल हैं, आवश्यकतानुरूप और वर्षांत पर समायोजन के अधीन अनुमानित/आनुपातिक आधार पर किए गए हैं।
5) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधानीकरण नीति के अनुसार, बैंक मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के आईआरएसी मानदंडों के अंतर्गत निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं के अलावा होते हैं। अंतर्निहित ऋण जोखिम के पुनः आकलन के आधार पर, त्वरित प्रावधानीकरण नीति की समीक्षा की गई है, जिसके फलस्वरूप प्रावधान-अपेक्षा में कमी आई है। तदनुसार, यथा 30 जून, 2026 को, मानक आस्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान रु.3,399.62 थे।
6) आरबीआई के दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र सं.आरबीआई/डीओआर/2025-26/334डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 253/21.04.018/2025-26 के अनुसरण में, 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान अंतरित /अधिगृहीत ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

ऋणों का हस्तांतरण :

i) हस्तांतरित गैर-निष्पादित आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़)

विवरण	**आस्ति वसूली कंपनियों को**	**अनुमन्य हस्तांतरितियों को**	**अन्य हस्तांतरितियों को**
खातों की संख्या	-	-	-
अंतरित ऋणों का सकल मूलधन बकाया	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही-मूल्य (अंतरण के समय)	-	-	-
सकल प्रतिफल	-	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान, प्रतिभूति-प्राप्तियों (एसआर) में कोई निवेश नहीं हुआ है। अवधारित सभी प्रतिभूति-प्राप्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं और इसलिए निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री से उत्पन्न कोई अतिरिक्त प्रावधान लाभ-हानि लेखा में प्रत्यावर्तित नहीं किए गए।

ii बैंक ने किसी भी ऐसे ऋण का हस्तांतरण नहीं किया है, जो चूकग्रस्त / विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) नहीं है।

ऋण का अधिग्रहण :

iii बैंक ने किसी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।

iv समनुदेशन के माध्यम से 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान, अधिगृहीत गैर-चूक संबंधी ऋणों के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	**2026-27 (Q1)**	**2025-26**
अधिगृहित ऋणों की सकल राशि (₹ करोड़ में)	408.34	774.23
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह सं.)	144.05	114.86
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारिता की अवधि (माह सं.)	13.33	10.39
प्रवर्तक द्वारा लाभप्रद आर्थिक हित का प्रतिधारण	10.00%	15.59%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	253.25%	198.70%
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

7) आरबीआई के दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र सं.आरबीआई/डीओआर/2025-26/334डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 253/21.04.018/2025-26 भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 के क्रम में, 30 जून, 2026 को समाप्त अवधि के लिए परियोजना ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि (₹ करोड़)
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना-खाते।	2807	8,386.14
2	तिमाही के दौरान कार्यान्वयन के अंतर्गत मंजूर परियोजना-खाते।	404	688.96
3	कार्यान्वयन के अंतर्गत ऐसे परियोजना-खाते, जिनमें तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल हो गया है।	894	2,231.05
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना-खाते। (1+2-3)	2317	6,844.05
5	'4' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, लागू किया गया है।	735	2,704.29
5.1	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वित की गई है।	735	2,704.29
5.2	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	0	0
5.3	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना सफल नहीं हो सकी है।	0	0
6	'5' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, परियोजना की व्याप्ति और स्वरूप में परिवर्तन के कारण लागू किया गया है।	18	55.62
7	'5' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन से जुड़ी लागत में वृद्धि के कारण, जैसा भी मामला हो, परियोजना का वित्तपोषण किया गया।	0	0
7.1	'7' में से जिन खातों में वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ मंजूर किया गया और लगातार नवीनीकृत किया गया ।	0	0
7.2	'7' में से जिन खातों में एसबीसीएफ की पूर्व-मंजूरी नहीं की गई अथवा उन्हें लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया ।	0	0
8	'4' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी शामिल न की गई समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, लागू किया गया है।	0	0
8.1	'8' में से - जिन खातों के संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की गई है।	0	0
8.2	'8' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	0	0
8.3	'8' खातों में से - जिनमें समाधान योजना सफल नहीं हो सकी है।	0	0

8) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निदेश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) पर आरबीआई के दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/334 डीओआर.एसीसी. आरईसी. सं. 253/21.04.018/2025-26 के संदर्भ में, 30 जून, 2026 को समाप्त अवधि के लिए सह-ऋण व्यवस्था पर प्रकटीकरण संबंधी विवरण नीचे दिए गए हैं:

Particulars	2026-27(Q1)	FY 2025-26
सीएलए की प्रमात्रा (₹ करोड़ में)	4.56	दिनांक 28 नवंबर, 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीएलए की कोई व्यवस्था प्रभावी नहीं हुई।
ब्याज की भारित औसत दर	14.43%	
लिया गया शुल्क /भुगतान किया गया शुल्क	शून्य	
व्यापक क्षेत्र जिनमें सीएलए सृजित किया गया।	संपत्ति के प्रति ऋण वर्ग के अंतर्गत एमएसएमई	
सीएलए के तहत ऋणों का निष्पादन	मानक संविभाग - ₹4.56 करोड़ अव-मानक आस्तियाँ - शून्य संदिग्ध आस्तियाँ - शून्य हानि आस्तियाँ - शून्य	
डिफ़ॉल्ट नुकसान की गारंटी	शून्य	

9) निवल गैर निष्पादित आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।

10) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

11) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एएस का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।

12) दिनांक 29 जुलाई, 2025 के आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2025-26/138 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.43/21.04.048/2025-26 - भारतीय रिज़र्व बैंक (एआईएफ में निवेश) निदेश, 2025 के अनुसरण में, बैंक ने प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन किया है और 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए ₹8.44 करोड़ का प्रावधान जारी रखा हैं।

13) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/डीओआर/2023-24/105 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.40/01.02.000/2023-24 के अनुसार, एआईएफआई को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत प्रयोज्य स्तंभ 3 के प्रकटीकरण का उल्लेख आवश्यक है। तदनुसार, पिछली अवधि के समरूपी ब्यौरे प्रयोज्य नहीं हैं। बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत स्तंभ 3 के प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् https://www.sidbi.in/listing-disclosure पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रकटीकरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा नहीं की गई है।

14) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

दिनांक : 10 अगस्त, 2026 **[मनोज मित्तल]**

स्थान: मुंबई **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक**